न्यायालयः अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जलेसर एटा

उपस्थितः विकास कुमार वर्मा, **(J.O.Code. 2225)** उ०प्र० न्यायिक सेवा

प्रकीर्णवाद संख्या–51/2026

योगेश––––बनाम––––आरती आदि

धारा–173(4) बी.एन.एस.एस
थाना–नि०कलां,
जिला एटा

–निस्तारण प्रार्थनापत्र धारा**–173(4) बी.एन.एस.एस–**

28.03.2026

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र पर विस्तृत रूप से सुना गया था।

संक्षेप में परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी योगेश कुमार पुत्र जगत सिंह निवासी महानमई सिमराऊ थाना जलेसर जिला एटा का रहने वाला है। प्रार्थी की शादी दिनांक 11.06.2025 को आरती पुत्री महेन्द्र सिंह निवासी नगला दुर्जन थाना निधौली कलॉ जिला एटा के साथ बिना दान दहेज के हुई थी। प्रार्थी अपनी पत्नी को हर प्रकार से खुश रखने का प्रयास किया और पति का दायित्व का पूर्ण रूप से पालन किया प्रार्थी की पत्नी आरती का व्यवहार प्रार्थी के परिवारीजनों के प्रति ठीक नही रहा दिनांक 15.09.2025 को प्रार्थी के ससुराल में प्रार्थी का साला रमाकान्त व बडा साढू सतीश घर पर आये बोले हमारे परिवार में शादी है। हम लडकी को लेने आये है तो प्रार्थी का साला व साढू सतीश प्रार्थी से बोला कि हमारे परिवार में शादी है हमें अपने मां के जेवरात व 20 हजार रूपया दिलवा दो। प्रार्थी ने विश्वास करके अपनी माँ के सोने की चार चूदी दो तोले, जंजीर एक तोला, 2 अंगूठी 5 ग्राम चाँदी की कमर बंध 100 ग्राम, एक जोडी पायल 250 ग्राम एक टीका सोने का 05 ग्राम, 20 हजार रूपये ले गये और बोले शादी होने के बाद तुम्हारा रूपया व जेवरात वापस कर देगें।4. प्रार्थी लगभग 15 दिन बाद अपनी पत्नी को बुलाने गया तो सास बोली हमारी तबीयत खराब है। कुछ दिन के लिए हमारे पास छोड दो। इस तरह से प्रार्थी कईबार ससुराल गया लेकिन ससुराल वालो ने प्रार्थी की बहू आरती को नहीं भेजा और न ही जेवर दिया और न ही रूपया दिया और कईबार टालमटोल करते रहे। प्रार्थी दिनांक 04.02.2026 को अपने ससुराल गया। वहाँ पहले से मौजूद साला रमाकान्त, साले की पत्नी माला, बडा साहू सतीश, बडे साढू की पत्नी मिथलेश, साढू के लडके अमन व शिवम व प्रार्थी की सास रामबेटी प्रार्थी के साथ बोले हम अपनी बेटी को अब तुम्हारा साथ नहीं भेजेगें और उसकी शादी दूसरी जगह करेगें। तब प्रार्थी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो तो इसी बात को सुनकर उपरोक्त लोगो ने प्रार्थी की मारपीट कर दी और कहा साले तुझे हम दहेज के मुकदमें में झूठा फसाकर जेल भेज देगें। शोर शराबा सुनकर मौहल्ले के बहुत से लोग आ गये जिन्होने घटना देखी और बीच बचाव कराया उसी वक्त प्रार्थी थाना निधौली कलॉ गया और सारी घटना की जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस वालो ने जांच की बात कहकर घर भेज दिया लेकिन अभी तक थाना पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट नही लिखी है। तब प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.02.2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को वजरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई। तब प्रार्थी मजबूर होकर श्रीमान जी के न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट थाना निधौली कलॉ में लिखवाकर उपरोक्त लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित रिपोर्ट की छायाप्रति व रसीद दाखिल किये गये हैं।

उपरोक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्या के अनुसार थाने पर उक्त मामले के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

Criminal Appeal No–781 Mrs Priyanka Srivastava and Another Vs State of U.P. and others **एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा**

रामबाबू गुप्ता व एक अन्य प्रति उ०प्र० राज्य 2001(50) ए.सी.सी. इलाहाबाद तथा सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए.सी.सी पेज 739 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि धारा–156(3) द०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार है कि वह उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही करें।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के निर्वचन के संदर्भ में निम्न विधि व्यवस्था पारित की गई है:–

1. बसनगौड़ा आर पाटिल बनाम शिवानंद एस. पाटिल (2024) किं० रिट 1 नं0–7526/2024 कर्नाटक उच्च न्यायालय,

2. प्रतीक अग्रवाल बनाम उ.प्र. राज्य (2024) किं. रिट धारा–482 संख्या–10390/2024 इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीट लखनऊ बैंच

3. सुभी एंटनी बनाम सूशा एवं अन्य (2025) कि० उच्च न्यायालय मिस०नं० 508/2025 केरल उच्च न्यायालय

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं में वर्णित सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–<u>आदेश</u>–

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रर्कीण वाद को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस दिनांक–07.04.2026 को प्रस्तुत हो।

(विकास कुमार वर्मा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जलेसर, एटा।